राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (S-375) अलेसे– I / 3010 – 3013 दिनांकः– 29/03/2023

श्री सुरेन्द्र सिंह मीना,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I,
निदेशालय, साक्षरता एवं
सतत् शिक्षा, जयपुर।

कारण बताओ नोटिस

विषयः– नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं करने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक 111 दिनांक 15.01.2023 के द्वारा आपका स्थानान्तरण कार्यालय निदेशालय, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, जयपुर से कार्यालय रजिस्ट्रार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि महाविद्यालय, जयपुर में किया गया था, किन्तु आप द्वारा आदिनांक तक नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया गया। आप द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं करना गम्भीर लापरवाही एवं राजकीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप निदेशालय के आदेश दिनांक 15.01.2023 की पालना में अतिशीघ्र नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करें एवं आदिनांक तक नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किये जाने के सम्बंध में अपना स्पष्टीकरण तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से इस निदेशालय को प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावें।

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

क्रमांकः– एफ.2 (क) (S-375) अलेसे– I / 3010 – 3013 दिनांकः–29/03/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशालय, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि महाविद्यालय, जयपुर।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)